



Neutral Citation No. - 2026:AHC:128948

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

अपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 19127 वर्ष 2026

कृष्णा गुप्ता एवं अन्य

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : अखंड प्रताप त्रिपाठी

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 71

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और उत्तर प्रदेश राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया।
2. वर्तमान जमानत आवेदन थाना सलेमपुर, जिला देवरिया से संबंधित वाद अपराध संख्या- 134 वर्ष 2026, अंतर्गत धारा 8/21 एनडीपीएस अधिनियम में आवेदकगण को जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदकों और सह-अभियुक्त कन्हैया गुप्ता के संयुक्त कब्जे से बरामद दिखाई गई प्रतिबंधित सामग्री की मात्रा 29.96 ग्राम स्मैक है, जिसे व्यावसायिक मात्रा से कम बताया गया है। तर्क यह है कि पुलिस ने अपराध की गंभीरता को बढ़ाने के उद्देश्य से जानबूझकर बरामद मात्रा को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया है। बरामदगी के संबंध में

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अभियोजन पक्ष की कहानी की सत्यता को चुनौती देते हुए अन्य तर्क भी प्रस्तुत किए गए हैं। आगे यह तर्क दिया गया है कि स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के वैधानिक प्रावधानों का अक्षरशः अनुपालन नहीं किया गया है, और इसलिए, कथित बरामदगी की कानूनी वैधता दूषित हो जाती है। अधिवक्ता ने उन परिस्थितियों को भी प्रदर्शित करने का प्रयास किया है जो आवेदक को झूठा फंसाए जाने की ओर इंगित करती हैं। अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत किए गए तर्कों के दौरान अभियोजन के पीछे दुर्भावना का भी तर्क दिया गया है। आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि आवेदकगण बिना किसी पूर्व आपराधिक इतिहास के दिनांक 23.04.2026 से जेल में निरुद्ध हैं।

4. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदकगण को जमानत दिए जाने की प्रार्थना का विरोध किया और प्रस्तुत किया कि अपराध में आवेदकों की संलिप्तता के संबंध में पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं, इसलिए वे जमानत पर रिहा होने के हकदार नहीं हैं।

5. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत परस्पर विरोधी तर्कों, आरोपों की प्रकृति, अभिलेख पर लाए गए साक्ष्यों, आवेदकों द्वारा भोगी गई कारावास की अवधि, किसी भी आपराधिक इतिहास की अनुपस्थिति पर विचार करते हुए और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, यह न्यायालय पाता है कि आवेदकों ने जमानत दिए जाने के लिए एक उपयुक्त मामला बनाया है।

6. तदनुसार, जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

7. उपरोक्त वाद अपराध में शामिल आवेदकों- **कृष्णा गुप्ता** और **उर्मिला गुप्ता** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार एक व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अतिरिक्त, रिहाई आदेश जारी करने से पहले प्रतिभूओं का सत्यापन किया जाए।

(i) आवेदक इस आशय का एक वचनपत्र दाखिल करेंगे कि न्यायालय में गवाहों की उपस्थिति के दौरान वे साक्ष्य के लिए नियत तिथि पर कोई स्थगन नहीं मांगेंगे। इस शर्त के उल्लंघन के मामले में, विचारण न्यायालय इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानने और कानून के अनुसार आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्र होगा।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(ii) आवेदक व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रत्येक नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेंगे। पर्याप्त कारण के बिना उनकी अनुपस्थिति के मामले में, विचारण न्यायालय उनके विरुद्ध धारा 229-ए आईपीसी/ 269 बी.एन.एस. के तहत कार्यवाही कर सकता है।

(iii) यदि विचारण के दौरान आवेदक जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं और उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए धारा 82 सीआरपीसी/ 84 बी.एन.एस.एस. के तहत उद्घोषणा जारी की जाती है, प्राप्त और यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा में नियत तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहते हैं, तो विचारण न्यायालय धारा 174-ए आईपीसी/ 209 बी.एन.एस. के तहत कानून के अनुसार उनके विरुद्ध कार्यवाही शुरू करेगा।

(iv) आवेदक (1) मामले की शुरुआत, (2) आरोप तय करने और (3) धारा 313 सीआरपीसी/ 351 बी.एन.एस.एस. के तहत बयान दर्ज करने के लिए नियत तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या पर्याप्त कारण के बिना है, तो विचारण न्यायालय के लिए ऐसी चूक को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानना और कानून के अनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

8. उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त के उल्लंघन के मामले में, यह जमानत रद्द करने का एक आधार होगा।

9. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदकों को जमानत देने में की गई टिप्पणियां किसी भी तरह से विद्वान विचारण न्यायाधीश को गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में प्रभावित नहीं करेंगी।

(माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

23 जून, 2026

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।